पत्र संख्याः—15 / एम 1—112 / 2012
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक............................2015

विषयः— वर्द्धमान महावीर कालेज, पावापुरी, नालन्दा को संबंधन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—G III A/396/14 दिनांक—17.06.14 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में वर्द्धमान महावीर कालेज, पावापुरी, नालन्दा को स्नातक कला एवं विज्ञान संकाय के निम्नांकित विषयों में (इंटर रहित) संबंधन दिये जाने में राज्य सरकार की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ संसुचित की जाती है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक—1098 दिनांक—19.04.1986 द्वारा निर्गत परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय में संबंधन हेतु गठित परिनियमानुसार विहित / निर्धारित राशि सुरक्षित कोष में जमा किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन से संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगीः—

i.	स्नातक प्रतिष्ठा (कला संकाय)	हिन्दी, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास।	सत्र 2008—09 से स्थायी संबंधन
II	स्नातक प्रतिष्ठा (कला संकाय)	संस्कृत, पाली, प्राकृत, उर्दू, मनोविज्ञान एवं गृहविज्ञान।	सत्र 2008—09 से 2010—11 तक तीन सत्रों के लिए नव संबंधन की पुर्वानुमति इस शर्त के साथ संसुचित किया जाता है कि भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्थिति तथा परिस्थिति में परिनियम के अनुच्छेद—7(I) में निहित प्रावधानों के अधीन अस्थायी संबंधन की कालावधि चार वर्षों से अधिक की नहीं होगी। परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन भविष्य में एक वर्ष का दीर्घीकरण किया जाना ही मान्य होगा।
III	स्नातक प्रतिष्ठा (विज्ञान संकाय)	भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित।	सत्र 2008—09 से परिनियमानुसार स्थायी संबंधन इस शर्त के साथ संसुचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस महाविद्यालय के अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संबंधन हेतु गठित परिनियमित समिति की अनुशंसा के आलोक में अधिषद् (सिनेट) की अगली बैठक में परिनियम में अंकित प्रावधानों के विरूद्ध लिये गये निर्णय को संशोधित किये जाने के पश्चात् ही संबंधन से संबंधित कोई आदेश निर्गत करेंगे।

2. उपरोक्त संबंधन राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1098 दिनांक–19.04.1986 तथा विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.08 से आच्छादित होगा।

3. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक.–15/एम 1–111/2012–1377/

पटना, दिनांक 14/7/15

प्रतिलिपि– निदेशक(उ०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ प्रधानाचार्य, वर्द्धमान महावीर कॉलेज, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव

Rajesh

RAJESH